न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सि
अ

प्रकरण संख्या 390/2022

राजस्थान सरकार जरिये श्री कमल कुमार मीणा, प्रर्वतन निरीक्षक।

बनाम

1. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री गुलाब चन्द (मै0 बालाजी गैस रिपेयर)
2. श्री अनूप पुत्र श्री रामावतार
3. श्री वासुदेव पुत्र श्री विघाधर
4. श्री लीलाधर (मै0 हिमांशु किराना स्टोर)

राजकीय विघालय पचेरी कलां के सामने, मुख्य सडक, पचेरी कलां, जिला झुंझुनूं।

——अप्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत आवेदन पत्र बाबत जब्त सामग्री
रासात करने बाबत।

——

उपस्थितः–

1. श्रीमती अनामिका, प्रवर्तन अधिकारी (विभागीय प्रतिनिधि)–प्रार्थी की ओर से उपस्
2. श्री विकास महमिया, एडवोकेट– अप्रार्थी सं0 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री मनोज वर्मा, एडवोकेट– अप्रार्थी सं0 3 की ओर से उपस्थित।
4. श्री रविराज सैनी, एडवोकेट– अप्रार्थी सं0 4 की ओर से उपस्थित।
5. अप्रार्थी सं0 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 2

प्रार्थी के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत आ तथ्यानुसार पेश है कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर श्री विरेन्द्र द्वारा घरेलू गैस के अवैध उपयोग क संख्या 112203014165663 प्रस्तुत किया गया। श्रीमान् जिला [illegible] अधिकारी, झुंझुनूं के पत्रांक 16 दि 12.2022 की पालना मे उक्त शिकायत की जांच श्री कमल कुमार मीणा, प्रर्वतन निरीक्षक तथा श्री बेरवाल, प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा दिनांक 07.12.2022 को की गई। राजकीय विघालय पचेरी कलां के सा सडक पर 3 (तीन) दुकानों पर श्री महेन्द्र [illegible] श्री अनूप व श्री वासुदेव लीलाधर (मै0 हिमुशु किराना स्टोर) द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया ग पर अवैध विक्रय के उद्देश्य से घरेलू सिलेण्डरों का भण्डारण, अवैध रिफलिंग किया जाना पाया ग पर गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग करने की 1 (एक) बांसुरी उपक (एक) रबर पाईप, 1 (एक) रेगूलेटर तथा 11 (ग्यारह) घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) मौक गए। सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:18:46 IST
Reason: SelfAttested

क्र0 स0	फर्म का नाम	कम्पनी का नाम	सिलेण्डर क्रमांक सं0	सकल वजन (किग्रा मे)	टियर वजन (किग्रा मे)	गैस (कि
1	हिमांशु किराना स्टोर	एच0पी0	697	16.200	15.700	
2		इण्डेन	189449	29.600	15.400	1
3	बालाजी गैस रिपेयर	इण्डेन	0085P	16.300	15.500	
4		इण्डेन	452811	16.100	15.600	
5		एच0पी0	434249	30.300	15.900	1
6		एच0पी0	128532T	16.100	15.700	
7	मै0 श्री अनूप/श्री वासुदेव	इण्डेन	391579 P	16.000	15.800	
8		एच0पी0	888774S	16.000	15.800	
9		इण्डेन	338181	15.800	15.700	
10		इण्डेन	055951S	15.900	15.800	
11		इण्डेन	195408	19.800	15.900	

सिलेण्डरों परपेंट होने से क्रमांक संख्या अस्पष्ट है। मौके पर उक्त 11 (ग्यारह) घ
सिलेण्डर (14.2 किग्रा) मय 1 (एक) बांसुरी उपकरण, 1 (एक) रबर पाईप, 1
रेगूलेटर वजह सबूत जब्त किया गया तथा जब्त की गई सामग्री श्री प्रदीप पुत्र श्री बनवा
प्रतिनिधि शिमला ग्रामीण वितरक (इण्डेन), शिमला, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं की
मे दिया गया। फर्द मौका की प्रति सलंग्न है। मौके पर नजरी नक्शा बनाया गया जिस
सलंग्न है। श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री गुलाब चन्द (मै0 बालाजी गैस रिपेयर), श्री अनूप
रामावतार, श्री वासुदेव पुत्र श्री विघाधर, श्री लीलाधर (मै0 हिमांशु किराना स्टोर)
विघालय पचेरी कलां के सामने, मुख्य सडक, पचेरी कलां, जिला झुंझुनूं द्वारा अवैध वि
उद्देश्य से घरेलू सिलेण्डरों का भण्डारण, गैस की अवैध रिफलिंग कर Liquified Pet
Gas (Regulation of Supply & Distribution) Order 2000 का उल्लधंन किया गय
कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सहपठित धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध
अवैध रूप से भण्डारित एवं प्रयुक्त बिन्दू सं0 3 मे उल्लेखित जब्त की गई सामग्री को
करने का आदेश फरमावें। चूंकि गैस सिलेण्डर/रेगूलेटर आदि तेल कम्पनी की सम्पत्ति
इस कारण से एवं सुरक्षा की दृष्टि से खुले बाजार मे नीलाम नही किया जा सकता
निस्तारण हेतु इनको संबंधित तेल कम्पनी को ही लौटाये जाने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:18:46 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के [illegible] पत्र में वर्णित तथ्यों की
करते हुये कथन किया कि उक्त 11 (ग्यारह) घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) मय 1 (एक
उपकरण, 1 (एक) रबर पाईप, 1 (एक) रेगूलेटर [illegible] अवैध विक्रय के उद्देश्य
सिलेण्डरों का भण्डारण, गैस की अवैध रिफलिंग कर Liquified Petroleum Gas (Regula
Supply & Distribution) Order 2000 का उल्लधंन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु
1955 की सहपठित धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थीगण बिना लाइसेन्स के अपने प्र
गैस सिलेण्डर नही रख सकते है। प्रतिष्ठान पर गैस सिलेण्डरों का रखा जाना सुरक्षित नही है। 100
से अधिक के गैस सिलेण्डर रखने पर लाइसेन्स रखना होता है। गैस कम्पनी द्वारा घर-धर एवं डे
सिलेण्डर सप्लाई की जाती है। जहां पहुंच सुलभ नही हो इसके लिए ग्राम पचेरी मे 3 स्थानों
सर्विस सेन्टर स्थापित है। अप्रार्थीगण का इस तरह गैस सिलेण्डर रखना अवैध व असुरक्षित है। अतः

प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अवैध रूप से भण्डारित एवं प्रयुक्त बिन्दू सं0 3 मे उल्लेखित जब्त की
राजसात करने का आदेश फरमावें। चूंकि गैस सिलेण्डर/रेगूलेटर आदि तेल कम्पनी की सम्पत्ति
कारण से एवं सुरक्षा की दृष्टि से खुले बाजार मे नीलाम नही किया जा सकता है। अतः निस्ता
संबंधित तेल कम्पनी को ही लौटाये जाने के आदेश फरमावें।

वकील अप्रार्थी सं0 1 ने जबाब प्रस्तुत कर बहस के दौरान कथन किया कि
सिलेण्डर का कोई अवैध भण्डारण नही किया। मौके पर अवैध गैस रिफलिंग की बांसुरी भी जप्
जप्त किये गये 3 सिलेण्डर खाली थे। एक सिलेण्डर भरा हुआ था। गैस कार्डधारियों के घर
होने के कारण घर तक गैस की गाडी नही जा सकती है। इसलिए वहां गैस सिलेण्डर लेने के
थे। प्रार्थी गैस सिलेण्डर नही रखता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी सं0 3 ने जबाब प्रस्तुत कर बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी ने गै
कोई अवैध भण्डारण नही किया। मौके पर अवैध गैस रिफलिंग की बांसुरी भी जप्त नही हुई
गये 5 सिलेण्डर खाली थे। गैस कार्डधारियों के घर संकरी गली मे होने के कारण घर तक गैस
जा सकती है। इसलिए वहां गैस सिलेण्डर लेने के लिए रखे हुए थे। प्रार्थी की सब्जी की दुका
प्रार्थी गैस सिलेण्डर नही रखता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी सं0 4 ने जबाब प्रस्तुत कर बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी ने गै
कोई अवैध भण्डारण नही किया। मौके पर अवैध गैस रिफलिंग की बांसुरी भी जप्त नही हुई
गये 2 सिलेण्डर थे। जिनमे से एक खाली सिलेण्डर था व एक भरा हुआ सिलेण्डर था। गैस
घर संकरी गली मे होने के कारण घर तक गैस की गाडी नही जा सकती है। इसलिए वहां गैस
के लिए रखे हुए थे। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अव
पत्रावली के अवलोकन, जबाब अप्रार्थीगण एवं बहस से साफ जाहिर है कि अप्रार्थीगण द्वा
रिफलिंग नही की जा रही थी। गैस कार्डधारियों के घर संकरी गली मे होने के कारण गैस
कार्डधारियों तक नही पहुंच सकती। गैस कम्पनी द्वारा उक्त जप्ति स्थल पर गैस सिलेण्डर आ
थे। मौके पर गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं विक्रय नही होना पाया गया है। ऐसी स्थि
यह प्रार्थना पत्र सारहीन है। अतः सारहीन होने से प्रार्थी का यह प्रार्थन पत्र खारीज किया ज
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ग

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:18:46 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मण सि
जिला क
जिला मजि